राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
www. rsmsssb.rajasthan.gov.in दूरभाष नं. 0141–2722520

क्रमांकः प.14(166)RSSB/अर्थना/विविध/2025/ **दिनांकः यथाहस्ताक्षर**

–::प्रेस विज्ञप्ति::–

बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशा–निर्देश।

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19.04.2023 के अनुसार राज्य में विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन करने हेतु वन टाईम रजिस्ट्रेशन (OTR) का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार अभ्यर्थी को एक बार ही पंजीयन शुल्क देना होता है। वन टाईम रजिस्ट्रेशन (OTR) के प्रावधान की अनुपालना में अभ्यर्थी अपनी एक बार पंजीयन शुल्क देकर भविष्य की सभी परीक्षाओं में निःशुल्क आवेदन करने का पात्र हो जाता है। इससे बहुत से अभ्यर्थी बिना तैयारी एवं गंभीरता के ऑनलाईन आवेदन भर देते हैं। बोर्ड को आवेदन पत्रों की संख्या के अनुसार ही दो या उससे अधिक पारियों में परीक्षा, प्रश्न पत्रों/ओ.एम.आर. का प्रकाशन, परीक्षा केन्द्रों की स्थापना, सुरक्षा व्यवस्थायें एवं कार्मिकों की नियुक्ति इत्यादि परीक्षा आयोजन संबंधी कार्यवाही की जानी होती है। परन्तु अभ्यर्थियों के बड़ी संख्या में परीक्षा में अनुपस्थित रहने के कारण परीक्षाओं को दो या उससे अधिक पारियों में व्यवस्था किये जाने से स्कूलों में पढाई बाधित होने, कई परीक्षा केन्द्रों पर व्यवस्थाओं से परीक्षा नियंत्रण में अनावश्यक रूप से परेशानी होती है तथा राज्य सरकार का व्यय अनावश्यक बढ़ रहा है।

अतः ऐसे अभ्यर्थी जो बिना गंभीरता के वन टाईम रजिस्ट्रेशन (OTR) से एक बार पंजीयन शुल्क देकर निःशुल्क आवेदन भर देते हैं किन्तु परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, उन अभ्यर्थियों के लिये निर्देश जारी किये जाते हैं कि यदि कोई अभ्यर्थी एक वित्तिय वर्ष (01 अप्रेल–31 मार्च) में आयोजित किन्ही दो परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा को प्रविबन्धित (Block) कर दिया जायेगा जो शुल्क 750/– रूपये की शास्ति चुकाने पर ही Unblock किया जायेगा। उनके वन टाईम रजिस्ट्रेशन (OTR) को प्रतिबंधित (Block) कर दिया जायेगा।

ऐसे अभ्यर्थी पैनल्टी शुल्क 750/– रूपये देकर अपना वन टाईम रजिस्ट्रेशन (OTR) पुनः चालू कर सकेगें। यदि अभ्यर्थी पुनः उसी वित्तिय वर्ष में दो और परीक्षाओं में अनुपस्थित हो जाता है तो उसके ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को पुनः प्रतिबंधित (Block) कर दिया जायेगा तथा वापस तभी सुविधा उपलब्ध होगी जब पेनल्टी शुल्क दोगुना यानि 1500/– रूपये नहीं चुका देता। अतः अभ्यर्थी उन्हीं परीक्षाओं के लिये आवदेन भरें जिसमें वे सम्मिलित हो रहे हो ताकि असुविधा और पेनेल्टी शुल्क दिये जाने से बच सकें।

(डॉ. बी. सी. बधाल)
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :–

1. प्रभारी अधिकारी IT-Cell को उक्त विज्ञप्ति की प्रति प्रेषित कर लेख है कि इसे बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड करावें एवं उक्तानुसार RISL के स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही होना सुनिश्चित करावें।
2. प्रभारी अधिकारी परीक्षा अनुभाग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर।

सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2025.04.01 18:14:12 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14433579